कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 185/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 12.05.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 12.05.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ ।

धारा 84 बीएनएसएस के अंतर्गत वांछित अभियुक्ता के विरुद्ध उद्घोषणा की कार्रवाई

➡ थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 92/26 धारा धारा 319(2),318(4),336(3), 338, 340(2), 61(2),352,351(3),111(7) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्ता निलम पत्नी विनोद कुमार निवासी कोडर अजमतपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए गए। अभियुक्ता के घर एवं संभावित ठिकानों पर बार-बार दबिश के बावजूद गिरफ्तार नही हो पायी तथा अभियुक्ता निलम ने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण नही किया है।

➡ उक्त परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 11.5.2026 के अनुपालन में अभियुक्ता के विरुद्ध धारा 84 बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषणा की कार्रवाई की गई। नियमानुसार अभियुक्ता के घर के मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा कर डुगडुगी बजवाई गई तथा गवाहों के हस्ताक्षर कराए गए।

➡ उल्लेखनीय है कि अभियुक्ता निलम पत्नी विनोद कुमार निवासी कोडर अजमतपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ मुकदमा उपरोक्त में सहअभियुक्त कृष्णचन्द राय पुत्र सुखसागर राय निवासी मुहम्मदपुर फेटी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ हाल पता मोहल्ला बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ व अन्य द्वारा मिलकर पीड़ित रूद्रान्श राय पुत्र विनोद राय ग्राम- मधुबन, पोस्ट- कन्धरापुर, तहसील-सगडी, जनपद- आजमगढ़ को जमीन बेचने हेतु फर्जी दस्तावेज दिखाकर धोखाधड़ी करके 33,30,000 रूपये लिये गये हैं। जिसके सम्बन्ध में दि. 8.3.26 को मु0अ0स0 92/26 धारा धारा 319(2),318(4),336(3), 338, 340(2), 61(2),352,351(3),111(7) बीएनएस पंजीकृत है।

अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास-

निलम पत्नी विनोद कुमार निवासी कोडर अजमतपुर थाना कोतवाली आजमगढ़,

1.मु0अ0स0 92/26 धारा धारा 319(2),318(4),336(3), 338, 340(2), 61(2),352,351(3),111(7) बीएनएस
2.मु0अ0सं0 191/2023 धारा 120बी,406,419,420,427 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

आपराधिक कृत्यों में संलिप्त व फरार अभियुक्तों के विरुद्ध कानून के तहत सख्त कार्रवाई जारी है।

थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

➡ किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं शारीरिक संबंध बनाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

➡ पीड़िता के बरामद होने के बाद मुकदमे में पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट की बढ़ोत्तरी

दिनांक 17.04.2026 को वादिनी द्वारा थाना बरदह पर सूचना दी गयी कि उसकी नाबालिग पुत्री को अभियुक्त साहिल उर्फ गोलू पुत्र सरदार निवासी ग्राम पुरसुडी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 137/26 धारा 137(2), 87 बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान दिनांक 10.05.2026 को पीड़िता को बरामद किया गया। पीड़िता के बयान एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस, 4(2) पॉक्सो एक्ट तथा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

आज दिनांक 12.05.2026 को उ0नि0 बड़कूलाल मय हमराह द्वारा अभियुक्त साहिल उर्फ गोलू पुत्र सरदार निवासी ग्राम पुरसुडी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को समय करीब 08:10 बजे गोड़हरा तिराहा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

साहिल उर्फ गोलू पुत्र सरदार निवासी ग्राम पुरसुडी थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 137/26 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस, 4(2) पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 बड़कूलाल थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
2. का0 सतिभान सिंह थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
3. का0 नितिन श्रीवास्तव थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

थाना – जहानागंज, जनपद आजमगढ़

➡ क्रिकेट खेलने व पीच जोतने को लेकर दो पक्षों में विवाद, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर 16 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार

➡ ग्राम धनहुआ व बबुरा में मारपीट एवं शांति भंग की स्थिति उत्पन्न होने पर जहानागंज पुलिस की प्रभावी कार्यवाही

आज दिनांक 12.05.2026 को ग्राम धनहुआ एवं ग्राम बबुरा के दो पक्ष क्रिकेट खेलने एवं पीच जोतने की बात को लेकर आपस में वाद-विवाद कर रहे थे। सूचना प्राप्त होने पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा दोनों पक्षों को काफी समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया, किन्तु दोनों पक्ष नहीं माने तथा आपस में हाथापाई/मारपीट प्रारम्भ कर दी। पुलिस बल द्वारा बीच-बचाव किये जाने के बावजूद दोनों पक्ष और उत्तेजित होकर आमदा फौजदारी होने लगे।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए थाना जहानागंज पुलिस टीम द्वारा कुल 16 व्यक्तियों को मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों-निर्देशों का पालन करते हुए कारण गिरफ्तारी बताते हुए धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत कार्यवाही कर मा0 एसडीएम सदर न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार व्यक्तियों का विवरण-

प्रथम पक्ष-

1. अजय पुत्र प्रभुनाथ राम उम्र 30 वर्ष
2. रिशु कुमार पुत्र संजय उम्र 19 वर्ष
3. पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र सुरेन्द्र राम उम्र 18 वर्ष

4. अंकित कुमार पुत्र चन्द्रभान उम्र 19 वर्ष
5. विशाल कुमार पुत्र रमेश राम उम्र 19 वर्ष
6. आशीष कुमार गौतम पुत्र गुलाब चन्द्र उम्र 23 वर्ष

निवासीगण बबुरा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

द्वितीय पक्ष-

1. गोलू कुमार पुत्र गुलाब चन्द्र उम्र करीब 21 वर्ष
2. करन कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद उम्र करीब 19 वर्ष
3. सन्तोष राम पुत्र श्रीपत राम उम्र करीब 40 वर्ष
4. कृष कुमार पुत्र सन्तोष राम उम्र करीब 18 वर्ष
5. सागर कुमार पुत्र सुभाष राम उम्र करीब 19 वर्ष
6. सोनू कुमार पुत्र रामविजय राम उम्र करीब 18 वर्ष
7. सन्नी कुमार पुत्र धर्मेन्द्र कुमार उम्र करीब 18 वर्ष
8. कृष्णा कुमार पुत्र गुल्लू प्रसाद उम्र करीब 19 वर्ष
9. नागेन्द्र पुत्र श्रीपत राम उम्र करीब 48 वर्ष
10. बलिराम पुत्र रामवृक्ष उम्र करीब 24 वर्ष

निवासीगण धनहुआ थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 विनय कुमार, उ0नि0 लवकुश सोनकर, हे0का0 राजकुमार गुप्ता, हे0का0 अच्छेलाल यादव, का0 ओमप्रकाश यादव, रि0का0 दीपक सिंह, थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

थाना पवई, जनपद आजमगढ़

➡ एक अदद देशी तमंचा .315 बोर व जिन्दा कारतूस के साथ शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

➡ पवई पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति चेकिंग के दौरान आर्म्स एक्ट में वांछित कार्रवाई

थाना पवई पुलिस द्वारा क्षेत्र में अपराध नियंत्रण एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग अभियान के क्रम में प्रभावी कार्यवाही करते हुए एक अभियुक्त को अवैध तमंचा एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 12.05.2026 को व0उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती, हे0का0 मंजीत ठाकुर व का0 विकास यादव के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध व्यक्ति बलुआ मोड़ के पास मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त नीरज लोना उर्फ जेलर पुत्र रत्तीलाल उर्फ रतीपाल निवासी शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 20 वर्ष को समय करीब 12:11 बजे गिरफ्तार किया गया।

जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना पवई पर मु0अ0सं0 109/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को नियमानुसार न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

नीरज लोना उर्फ जेलर पुत्र रत्तीलाल उर्फ रतीपाल निवासी शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर

2. 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 109/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 109/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 295/25 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 109 आर्म्स एक्ट थाना मोतिगरपुर जनपद सुल्तानपुर।
3. Mu0अ0सं0 143/25 धारा 317(2)/317(4) थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
4. मु0अ0सं0 176/23 धारा 379/411/414/420/467/468/471 थाना महरुआ जनपद अम्बेडकरनगर।
5. मु0अ0सं0 275/23 धारा 379/411/414/420/467/468/471 थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
6. मु0अ0सं0 276/23 धारा 379/411/414/420/467/468/471 थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
7. मु0अ0सं0 277/23 धारा 379/411/414/420/467/468/471 थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
8. मु0अ0सं0 278/23 धारा 379/411/414/420/467/468/471 थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
9. मु0अ0सं0 281/23 धारा 379/411/414/420/467/468/471 थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
10. मु0अ0सं0 279/23 धारा 379/411/414/420/467/468/471 थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
11. मु0अ0सं0 85/23 धारा 363/366/376/504/506 थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

व0उ0नि0 गोपाल जी, उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती, हे0का0 मंजीत ठाकुर, का0 विकास यादव थाना पवई जनपद आजमगढ़।

थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

➡ अवैध गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त 25 किलो 100 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार

➡ ऑटो में छिपाकर उड़ीसा से गांजा लाकर गोरखपुर में फुटकर बिक्री करने की बात स्वीकार

अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना तहबरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए एक अभियुक्त को भारी मात्रा में अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 11.05.2026 को उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी मय हमराह का0 मिथिलेश शाह व का0 मुकेश कुमार गुप्ता द्वारा बैंक चेकिंग एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान किशुनदासपुर अण्डरपास के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि एक संदिग्ध व्यक्ति ऑटो से निजामाबाद की तरफ से आ रहा है, जिसके पास कोई अवैध वस्तु हो सकती है।

सूचना पर पुलिस टीम द्वारा सरदहां चौहान बस्ती मोड़ के पास घेराबंदी की गयी। इसी दौरान एक ऑटो आता दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो चालक पुलिस को देखकर ऑटो मोड़कर भागने लगा, किन्तु पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम धीरज साव पुत्र रामप्रताप साव निवासी ग्राम शाहपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर हाल पता गांधी रोड राउरकेला थाना प्लाण्ट साइड जनपद सुन्दरगढ़ उड़ीसा उम्र करीब 34 वर्ष बताया।

अभियुक्त द्वारा स्वयं ऑटो के पिछले हिस्से में रखे पैकेट दिखाये गये। सूचना पर क्षेत्राधिकारी सगड़ी/बूढ़नपुर श्री अनिल कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे तथा नियमानुसार तलाशी ली गयी। तलाशी के दौरान ऑटो से कुल 12 पैकेटों में 25 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। इसके अतिरिक्त अभियुक्त की जामा तलाशी से 01 अदद कार्बन कंपनी का कीपैड मोबाइल (बिना बैटरी) एवं 700 रुपये नगद बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को दिनांक 11.05.2026 को समय करीब 18:20 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह गांजा उड़ीसा से खरीदकर गोरखपुर ले जाकर ग्राहकों को फुटकर बिक्री करता है तथा इसी से अपने परिवार का भरण-पोषण करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
धीरज साव पुत्र रामप्रताप साव निवासी ग्राम शाहपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर, हाल पता गांधी रोड राउरकेला थाना प्लाण्ट साइड जनपद सुन्दरगढ़ उड़ीसा, उम्र करीब 34 वर्ष।
बरामदगी का विवरण-
1. कुल 12 पैकेटों में 25 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा।
2. 01 अदद कार्बन कंपनी का कीपैड मोबाइल (बिना बैटरी)।
3. 700 रुपये नगद।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 72/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
आपराधिक इतिहास-
मु0अ0सं0 457/2025 धारा 318(4), 336(3), 338 बीएनएस व 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुगलसराय जनपद चंदौली।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
1. उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
2. का0 मिथिलेश शाह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
3. का0 मुकेश कुमार गुप्ता थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

➡ चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

➡ मेंहनगर पुलिस ने वाहन चोरी की घटना का सफल अनावरण कर स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद की

दिनांक 06.05.2026 को वादी अंगद गोड पुत्र बेचू गोड निवासी ग्राम सिंहपुर थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मेंहनगर पर सूचना दी गयी कि वह अपनी मोटरसाइकिल संख्या UP 50 CR 0608 (स्प्लेंडर प्लस) से ग्राम आमारी में शादी समारोह में गया था। खाना खाने के दौरान अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसकी मोटरसाइकिल चोरी कर ली गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0 148/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक निहार नन्दन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गयी। दिनांक 12.05.2026 को प्रभारी निरीक्षक निहार नन्दन कुमार मय हमराह निरीक्षक जयप्रकाश यादव, उ0नि0 शिवनारायण मौर्या, रि0का0 अभिषेक सिंह, रि0का0 रवि, रि0का0 संदीप कुशवाहा व चालक का0 अतुल शुक्ला के साथ क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. उमेश कुमार पुत्र सतीराम निवासी ग्राम डीगरशन्डी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष एवं 2. अमित कुमार पुत्र लालमनी राम निवासी घिनहापुर नारीडीहा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को जहानागंज बॉर्डर स्थित मगई नदी पुल रामदासपुर के पास से समय करीब 02:30 बजे गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस संख्या UP 50 CR 0608 बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. उमेश कुमार पुत्र सतीराम निवासी ग्राम डीगरशन्डी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष।
2. अमित कुमार पुत्र लालमनी राम निवासी घिनहापुर नारीडीहा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

01 अदद मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस संख्या UP 50 CR 0608।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 148/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक निहार नन्दन कुमार, निरीक्षक जयप्रकाश यादव, उ0नि0 शिवनारायण मौर्या, रि0का0 अभिषेक सिंह, रि0का0 रवि, रि0का0 संदीप कुशवाहा व चालक का0 अतुल शुक्ला थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

यातायात पुलिस, जनपद आजमगढ़

➡️ मोडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले वाहनों के विरुद्ध यातायात पुलिस व परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई

➡️ 11 वाहनों का चालान, 05 वाहन सीज, प्रेशर हॉर्न व हूटर बेचने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी

सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने एवं ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आज दिनांक 12.05.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में यातायात police एवं संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) द्वारा जनपद के बागेश्वर चौराहा एवं भवरनाथ चौराहे पर विशेष संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान उन दोपहिया वाहनों की सघन जांच की गयी, जिनमें मानक के विपरीत मोडिफाइड साइलेंसर (पटाखा छोड़ने वाले साइलेंसर) का प्रयोग किया जा रहा था। यातायात पुलिस एवं आरटीओ (प्रवर्तन) की संयुक्त टीम द्वारा प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही करते हुए 11 वाहनों का चालान कर कुल ₹10,000 शमन शुल्क अधिरोपित किया गया तथा 05 वाहनों को सीज किया गया।

इसके अतिरिक्त जनपद में अवैध रूप से मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, हूटर एवं सायरन आदि की खरीद-बिक्री करने वाले 02 दुकानदारों को नोटिस जारी कर कड़ी चेतावनी दी गयी कि भविष्य में इस प्रकार की सामग्री की बिक्री करते हुए पाए जाने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जायेगी।

यातायात पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गयी कि यातायात नियमों का पालन करें तथा मानक के अनुरूप ही वाहन उपकरणों का प्रयोग करें, जिससे सड़क सुरक्षा एवं सार्वजनिक शांति व्यवस्था बनी रहे।

थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

➡️ थाना मुबारकपुर क्षेत्रान्तर्गत चौकी बनकट के नवनिर्माण हेतु भूमि पूजन सम्पन्न

➡️ पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर की उपस्थिति में चौकी बम्हौर के निर्माणाधीन भवन की छत पूजन सम्पन्न

आज दिनांक 12.05.2026 को थाना मुबारकपुर क्षेत्रान्तर्गत चौकी बनकट के नवनिर्माण कार्य हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम सम्पन्न कराया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक नगर महोदय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती आस्था जायसवाल की गरिमामयी उपस्थिति रही।

इस अवसर पर चौकी बम्हौर में निर्माणाधीन पुलिस चौकी भवन की छत पूजन कार्यक्रम भी सम्पन्न कराया गया। अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य का निरीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध कार्य पूर्ण कराने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नई चौकियों के निर्माण से क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी तथा आमजन को त्वरित एवं प्रभावी पुलिस सेवाएं उपलब्ध करायी जा सकेंगी।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 12.05.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वार की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अवैध शस्त्र रखने के आरोप में दोष करार देते हुए **जेल में बिताई अवधि 15 दिवस के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

थाना गम्भीरपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें अवैध शस्त्र रखने के 01 आरोपी अभियुक्त को जेल में बिताई गय अवधि 15 दिवस के कारावास व 1000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 15.01.2003 को वादी मुकदमा हे0का0 बब्बन सिंह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखि तहरीर दी कि अभियुक्त प्रदीप कुमार पुत्र कालीचरन राम निवासी अरारा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से अदद अबैध तमन्चा व 1 अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0-14/2003 धारा- 25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 12.05.2026 को मा0 न्यायालय एफ0टी0सी0 (महिला) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त स सम्बन्धित अभियुक्त प्रदीप कुमार पुत्र कालीचरन राम निवासी अरारा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ **को दोषसिद्ध पा हुए जेल में बिताई गयी अवधि 15 दिवस के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 12.05.26 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वार की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा नाजायज चाकू रखने के आरोप में दोष करार देते हुए **जेल में बिताई अवधि के कारावास व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

थाना गम्भीरपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें नाजायज चाकू रखने के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को जेल म बिताई गयी अवधि के कारावास व 2000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक19.08.2000 को वादी मुकदमा का0 829 मोहन मिश्रा चौकी गोसाई की बाजार थाना गम्भीरपुर जनप आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त रविन्द्र कुमार भारती पुत्र शंकर राम निवासी शहरी बन्धा थान देवगांव जनपद आजमगढ़ के कब्जे से नाजायज चाकू बरामद होना।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0- 287/2000 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 12.05.2026 को मा0 न्यायालय जे0एम0 कोर्ट नं0 -15 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रविन्द्र कुमार भारती पुत्र शंकर राम निवासी शहरी बन्धा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ **को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 12.05.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा गैंग0 एक्ट अपराध के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर **जेल मे बितायी गयी अवधि 06 वर्ष 04 माह के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना बरदह में पंजीकृत अपराध जिसमें गैंग0 एक्ट अपराध के आरोप में 01 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 06 वर्ष 04 माह के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक-**01.01.2020** को वादी मुकदमा नि0 श्री प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि **अभियुक्त राहुल कुमार मोदनवाल पुत्र स्व0 रामलाल निवासी सरायविका थाना पवारा जनपद जौनपुर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 01/2020 धारा- 3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर।

➡जिसके क्रम में दिनांक-12.05.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0 कोर्ट सं0-01 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त राहुल कुमार मोदनवाल पुत्र स्व0 रामलाल निवासी सरायविका थाना पवारा जनपद जौनपुर को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 06 वर्ष 04 माह के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**